आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 30.11.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत देशभर में पच्चीस हजार जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।
- पीएमईजीपी के तहत मध्योत्तर अंडमान में जागरूकता और जन–शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
- अण्डमान निकोबार यातायात पुलिस ने सभी वाणिज्य वाहन मालिको और चालको को अपने वाहन पर संपर्क नम्बर प्रदर्शित करने को कहा है।
- दक्षिण अंडमान ज़िले में सभी भूमि–संबंधी कार्यों के लिए ऑनलाइन भूमि पंजीकरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा है।
- अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से चौदह दिसम्बर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना–पी.एम.बी.जे.पी के अंतर्गत मार्च दो हजार सत्ताईस तक देशभर में पच्चीस हजार जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि इस वर्ष मार्च के अंत तक कुल चौदह हजार एक सौ इक्कतीस जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में जन–औषधि केंद्र खोलने के लिए विभिन्न स्तरों पर नौ सौ नब्बे आवेदनों की जांच की जा रही हैं। आज दो सौ छः दवा निर्माता दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों, पोष्टिक औषधीय और आयुर्वेदिक उत्पादों की आपूर्ति के लिए पी.एम.बी.जे.पी. की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया से जुड़े हैं।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम और सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं तथा उद्योग विभाग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए मध्योत्तर अंडमान में बेरोजगार मुक्त यूटी अभियान के तहत जागरूकता और जन–शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

मध्योत्तर अंडमान ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, पशुपालन और पशुचिकित्सा विभाग, कृषि, मत्स्य, एन वाई के और बैंक के सहयोग से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार गतिविधियों में शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है और मौके पर ही चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और उसके लाभ के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे उन योजनाओं का लाभ उठा सके। कार्यक्रम में युवाओं को दस्तावेजीकरण, ऑनलाइन ऋण आवेदन जमा करना और परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस सिलसिले में दो दिसम्बर को सुबह दस बजे से पंचायत हॉल नीलाम्बुर में, दो दिसम्बर को ही साढ़े तीन बजे कदमतला पंचायत हॉल में, तीन दिसम्बर को सुबह दस बजे बकुलतला और शाम चार बजे हरिनगर ग्राम पंचायत में, चार दिसम्बर को सुबह साढ़े दस बजे दानापुर में और शाम चार बजे किशोरीनगर पंचायत में, पांच दिसम्बर को कालीघाट पंचायत में सुबह दस बजे और शाम तीन बजे डिगलीपुर के गणेश नगर ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रखा गया है। ज़िले के इच्छुक बेरोज़गार युवा, जो निर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्राप्त कर स्वरोज़गार स्थापित करना चाहते हैं, उनसे निर्धारित तिथि और समय पर इन कार्यक्रमों में भाग लेने को कहा गया है।

<><><><><><><>

अण्डमान निकोबार यातायात पुलिस ने सभी वाणिज्य वाहन मालिको और चालको को अपने वाहन पर संपर्क नम्बर और संबंधित अन्य जानकारियां प्रदर्शित करने को कहा है। केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम उन्नीस सौ नवासी के तहत वाहन मालिकों को अपना फोन नम्बर तथा संबंधित जानकारियां वाहन के दोनों ओर तथा पीछे प्रदर्शित करना होगा। यातायात पुलिस ने निजी वाहन मालिकों को यह परामर्श दी है कि वे भी स्वेच्छा से संबंधित जानकारियां वाहन पर प्रदर्शित कर सकते है। यह उपाय वाहन मालिक या चालक के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायक होगा, विशेषकर तब जब वाहनों को बिना देखरेख के रास्ते पर छोड़ दिया जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िले में उप–पंजीयक और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से द्वीपसमूह में सभी भूमि–संबंधी कार्यों के लिए ऑनलाइन भूमि पंजीकरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक सुविधा में सुधार और पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली में सभी प्रकार के कार्यों को पंजीकृत करने के लिए उपलब्ध ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट की संख्या अब प्रतिदिन आठ स्लॉट से बढ़ाकर बारह स्लॉट कर दी गई है।

इसका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, सुचारू पंजीकरण सेवाएँ सुनिश्चित करना और सभी कार्यों का समय पर निपटान करना है। यह सुविधा दो दिसंबर से सभी कार्य दिवसों में लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। आम जनता आधिकारिक एन जी डी आर एस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने पंजीकरण स्लॉट बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उप–पंजीयक और अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि त्वरित डिग्री कार्यक्रम से छात्रों को प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में तीन साल या चार साल की डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा। त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के तहत छात्रों को सामान्य अवधि के कार्यक्रम के तहत क्रेडिट मिलेंगे। विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के तहत छात्र अपनी डिग्री की समय सीमा को दो सेमेस्टर तक बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान इन कार्यक्रमों के लिए छात्रों की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन करेंगे। संस्थान स्वीकृत प्रवेश सीमा के दस प्रतिशत तक इस विशेष डिग्री कार्यक्रम के लिए निर्धारित कर सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान स्टैंडर्ड पीरियड के बजाय चुनी गई अवधि में कार्यक्रम पूरा करने पर छात्रों को डिग्री जारी करेंगे। पहले या बाद में पूरी की गई स्नातक डिग्री को भी रोजगार और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सामान्य अवधि की डिग्री के बराबर माना जाएगा।

<><><><><><><>

अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से चौदह दिसम्बर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत श्री विजयपुरम के ज़िला न्यायालय भवन, उप–विभागीय कोर्ट परिसर मायाबंदर तथा डिगलीपुर के सर्किट कोर्ट में आयोजित होगा।

लोक अदालत में धारा एक सौ अड़तीस के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड अधिनियम के मामले, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल संबंधी विवाद, भरण–पोषण के मामले, सिविल विवाद और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विवादों का निपटान किया जाएगा, जिन लोगों के विवाद मुकदमें पूर्व या मुकदमे पश्चात स्तर पर है, उन्हे राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान उनके समाधान की सुविधा के लिए नौ दिसम्बर तक सचिव, ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण, श्री विजयपुरम को लिखित रूप में जमा करने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए आम जनता ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

<><><><><><><>

खराब मौसम को देखते हुए लोगों और पर्यटकों से कहा गया है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति और तेज़ हवाओं के कारण अंतर–द्वीप और तटवर्ती क्षेत्र की जहाज सेवाओं को रद्द किया जा सकता है। इसी तरह, चैथम, बम्बूफ्लाट, डंडास पॉइंट, होपटाउन, फीनिक्स–बे और अन्य बाहरी स्थानों के बीच हार्बर और वाहन फ़ेरी सेवाओं का संचालन भी मौसम की स्थिति के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के निलंबित किया जा सकता है। यात्रियों और पर्यटकों से कहा गया है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे अपनी यात्रा कार्यक्रम मौसम को देखते हुए बनाए। अधिक जानकारी के लिए फीनिक्स–बे में सूचना काउंटर पर संपर्क कर सकते है।

<><><><><><><>